भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3893
सोमवार, 24 मार्च, 2025/03 चैत्र, 1947 (शक)

पश्चिम बंगाल में श्रमिकों के लिए कल्याण योजनाएं

3893. श्री अबू ताहेर खान:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल में श्रमिकों को दी जाने वाली स्वास्थ्य योजनाओं सहित श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश में श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) और (ख): केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल राज्य सहित देश में कामगारों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं में शामिल हैं (i) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), (ii) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), (iii) प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम), (iv) श्रमिक कल्याण योजना और बीड़ी/सिने और गैर-कोयला खदान कामगारों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, (v) कर्मचारी राज्य बीमा योजना, (vi) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक-राष्ट्र-एक-राशन-कार्ड योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली, (vii) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, (viii) प्रधानमंत्री आवास योजना, (ix) महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, (x) दीन दयाल अंत्योदय योजना, (xi) पीएमस्वनिधि, (xii) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें भी श्रमिकों के कल्याण के लिए विशिष्ट योजनाएं चलाती हैं।

बजट आबंटन और व्यय योजनाओं के उपबंधों के अनुसार हैं।

*****